रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263941
CG-DL-E-18062025-263941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार , जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947
No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

मामला संख्या सीवीडी (ओआई) – 01/2024

विषय: ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभावी पिगमेंट को छोड़कर, प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के आयात के संबंध में प्रतिपूरक शुल्क जांच में अंतिम निष्कर्ष ।

एफ.सं.6/8/2024-डीजीटीआर.–समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (प्रतिकारी शुल्कों और क्षति की पहचान, निर्धारण और आकलन) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक ने उपरोक्त प्रतिकारी शुल्क जांच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2024 - डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2025 जारी की है।

शुल्क तालिका के नीचे जारी स्पष्टीकरण को नीचे प्रतिस्थापित किया जाता है।

एंटी-डंपिंग/काउंटरवेलिंग ड्यूटी उपायों के संग्रह के लिए।

a. औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के मामले में , प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2023-सीयूएस (एडीडी), दिनांक 22 नवंबर 2023 के अनुसार देय एंटीडंपिंग शुल्क के बीच के अंतर के बराबर होगी।

b. कॉस्मेटिक अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डंपिंग शुल्क देय नहीं है, इसलिए प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

c. ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए प्राकृतिक ग्रेड के प्रभावी पियरलेसेंट पिगमेंट या माइका पियरलेसेंट पिगमेंट के मामले में, कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

d. सिंथेटिक ग्रेड के प्रभावी पर्लसेंट पिगमेंट या माइका पर्लसेंट पिगमेंट के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डंपिंग शुल्क देय नहीं है, इसलिए प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

सिद्धार्थ महाजन, नामित प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

Case No. CVD (OI) – 01/2024

Subject: Final finding in the countervailing duty investigation concerning imports of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications.

F.No.6/8/2024-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Determination and Assessment of Countervailing Duties and Injury) Rules, 1995, as amended time to time, thereof, the Director General has issued the Final Finding Notification F. No. 6/8/2024 – DGTR dated March 28th 2025, in respective of the above countervailing duty investigation.

The clarification issued below the duty table is substituted as below.

#For collection of anti-dumping/countervailing duty measures.

e. *In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for industrial application, quantum of countervailing duty shall be equivalent to the difference between amount payable as per column (7) and antidumping duty payable as per customs Notification No. 13/2023-Cus (ADD), dated 22nd November 2023.*

f. *In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for cosmetic application, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).*

g. *In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of natural grade for automotive application, no countervailing duty should be charged.*

h. *In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of synthetic grade, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).*

##The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.18 14:28:41 +05'30'